

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-908 वर्ष 2017

बैद्य नाथ पाण्डेय

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, दुमका
3. कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका
4. सहायक अभियंता, नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका
5. कनिष्ठ अभियंता, नगर पंचायत, बासुकीनाथ, दुमका

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री तपन कुमार मिश्रा

राज्य के लिए:- ए0ए0जी0-1 का ए0सी0

05/15.03.2022 वर्तमान रिट याचिका, प्रत्यर्थी सं0 3 पर जमानत राशि (कार्य मूल्य का 5 %) और वार्ड सं0 08 में पीपल ट्री वाटर टैंक से बासुकीनाथ विहार कॉर्नर, शिव गंगा घाट रोड, बासुकीनाथ, दुमका तक पी0सी0सी0 रोड के निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए भुगतान करते समय याचिकाकर्ता के चालू बिलों में से काटी गई 5 % राशि को तुरंत जारी करने का निर्देश जारी करने के लिए दाखिल की गई है।

प्रत्यर्थी सं० 2 और 3 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत कार्य पूरा होने पर, बिलों की 5 % राशि काटने के बाद माप पुस्तक के अनुसार याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया है और निविदा सूचना सं० 12/2012-13 के खंड 12 में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, राशि को पाँच साल की अवधि के लिए, अर्थात् विचाराधीन कार्य के रखरखाव की अवधि के लिए आरक्षित रखा गया था। हालांकि, कथित राशि याचिकाकर्ता के पक्ष में पत्र संख्या 1017/एन०पी०, दिनांक 24.11.2018 के द्वारा जारी की गई है, जो उसी तिथि के चेक संख्या ए 648115 के साथ है।

याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान अब प्रत्यर्थियों द्वारा कर दिया गया है।

इस मामले में हो रहे कथित प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार वर्तमान रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया०)